

136

F-1(32) 2005-MP

रजिस्ट्री सं. डी.एन.-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 859]  
No. 859]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 5, 2010/वैशाख 15, 1932  
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 5, 2010/VAISAKHA 15, 1932

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रदान)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2010

का.आ. 1025(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 26 नवम्बर, 2009 को सं. का.आ. 3019 (अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अन्दर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है; और  
3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में ऐतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।  
संशोधन :

जोन "एफ" में 3468.43 वर्ग मी. (प्लॉट सं. 7) माप वाले सख्दिक नगर स्थित निम्नलिखित क्षेत्र के भू-उपयोग को "अव्यासीय ईंसे "सरकारी उपयोग" (सरकारी कार्यालय) में निम्नलिखित विवरण अनुसार परिवर्तित किया जाता है :-

| स्थिति                 | क्षेत्र          | भू-उपयोग (एक्टो-2021) | परिवर्तित भू-उपयोग             | समीप   |
|------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| (1)                    | (2)              | (3)                   | (4)                            | (5)  |
| जोन "एफ" में सादिक नगर | 3468.43 वर्ग मी. | अव्यासीय              | सरकारी उपयोग (सरकारी कार्यालय) | पूर्व - 45 मीटर सड़क<br>पश्चिम - सी.जी.एच.एस. डिसेंसी एव सी.पी.डब्ल्यू.डी. पुस्तक कार्यालय<br>उत्तर - योजना क्षेत्र केन्द्र/स्थानीय विपणन (भाग)<br>दक्षिण - प्रस्तावित पुलिस पोस्ट |

[ फा सं. के-13011/14/2009-डीडी। बी ]

यू. विश्वनाथम, अवर सचिव

1712 GI/2010

136

F1(32) 2005-MP

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT  
(DELHI DIVISION)  
NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2010

S. O. 1025(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 3019(E) dated 26th November, 2009 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said Notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modification have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

The land use of the following area measuring 3468.43 sq. m. (Plot No. 7) located in Sadiq Nagar from 'Residential' to 'Government use' (Government Office) falling in Zone-F is changed as per description listed below :—

| Location               | Area           | Land use (MPD-2021) | Land Use changed to                | Boundaries  |
|------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|---|
| 1                      | 2              | 3                   | 4                                  | 5   |
| Sadiq Nagar, in Zone-F | 3468.43 sq. m. | Residential         | Government Use (Government Office) | East - 45 mtr. road<br>West - CGHS Dispensary and CPWD Inquiry Office<br>North - Planning Area Centre/Local Shopping (Part)<br>South - Proposed Police Post |

[F.No. K-13011/14/2009-DDMB)  
U. VISWANADHAM, Under Secy.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)  
PART II—Section 3—Sub-section (II)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1108]  
No. 1108]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 4, 2010/ज्यैष्ठ 14, 1932  
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 4, 2010/JYAISTHA 14, 1932

दिल्ली विकास प्राधिकरण  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 4 जून, 2010

विषय—दिल्ली मुख्य योजना-2021 के अनुसरण में होटलों के अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) प्रचारों का निर्धारण करना।

का.आ. 1323(अ).—दि.पु.यो. 2021 के अस्तित्व में आने से होटलों के बड़े हुए तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) के लिए प्रचारों का निर्धारण सं. का.आ. 2433(अ) दिनांक 10-10-2008 और सं. का.आ. 567(अ), दिनांक 27-2-2009 द्वारा वर्ष 2007-08 के लिए अधिसूचित किया गया था, जिसे आगे सं. का.आ. 2906(अ) दिनांक 17-11-2009 द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए बढ़ा दिया गया था। अब केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संशोधन करता है :—

- होटलों को अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) प्रदान करने के लिए प्रचारों का निर्धारण/पुनर्गठन के संबंध में अतिरिक्त कमरों को पूरा करने की विद्यमान तिथि 31-7-2010 से बढ़ा कर 31-8-2010 करना, और
- होटलों के वर्गीकरण हेतु समयावधि विद्यमान तिथि 31-8-2010 से बढ़ा कर 30-9-2010 करना।

[फा. सं. एफ. 20(4)2005/एच.पी./पार्ट-1ए]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY  
NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2010

Sub. :—Fixation of additional FAR charges to hotels pursuant to MPD-2021

S.O. 1323(E).—The fixation of charges for enhanced FAR to hotels arising out of MPD-2021 were notified for the year 2007-08 vide No. S.O. 2433(E) dated 10-10-2008 and No. S.O. 567(E) dated 27-2-2009, which were further extended for the year 2008-09 vide No. S.O. 2906(E) dated 17-11-2009. Now with the prior approval of the Central Government, Delhi Development Authority, in exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), makes the following modifications :—

- for extension of date of completion of additional rooms from the existing 31-7-2010 to 31-8-2010 with regard to fixation/payment of charges for grant of additional FAR to hotels, and
- for extension of time period for classification for the hotel from the existing 31-8-2010 to 30-9-2010.

[F. No. F. 20(4)2005/MP/P1-1A]

V. M. BANSAL, Principal Commr.-cum-Secy.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 1752]

No. 1752]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25 2010/भाद्र 3, 1932  
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 25, 2010/BHADRA 3, 1932

शहरी विकास मंत्रालय  
(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2010

का.आ. 2069(अ).—यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार को जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड 34 के अधीन अगस्त 25, 2010 के अनुसार दिनांक 4 दिसम्बर, 2009 को सं. का.आ. 3098(अ) की धार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा बुद्ध-अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

- यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपत्तियां/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया; और
- यतः केन्द्र सरकार ने भागले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।
- अतः, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

जोन-सी में अम्बदपुर, नई दिल्ली में आने वाली निम्नलिखित 3.0 हे. भूमि का भू-उपयोग निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है :

| अवस्थिति            | क्षेत्र | भू उपयोग<br>(एमपीडी-2021) | परिवर्तित भू-उपयोग                                     | सीमाएं  |
|---------------------|---------|---------------------------|--|---|
| (1)                 | (2)     | (3)                       | (4)  | (5)   |
| जोन-सी में अम्बदपुर | 3.0 हे. | 'मनोरंजन'                 | 'परिवहन-टी-2'<br>(एमआरटीएस सम्पन्न विकास/समोक्त विकास) | पूर्व - सरमैन्डरीवाल बाग (मनोरंजन-निलंबित पार्क)<br>पश्चिम - अम्बदपुर जैक<br>उत्तर - जीटी कराल रोड/सॉल रोड<br>दक्षिण - जीटी रोड/मनोरंजन - (निलंबित पार्क) |

3341 GI/2010

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT  
(DELHI DIVISION)  
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2010

S.O. 2069(E). Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice, vide No. S.O. 3098(E) dated 4th December, 2009 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) and the objections/suggestions required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering the same, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

**MODIFICATION:**

The land-use of the following area measuring 3.0 ha at Azadpur, New Delhi in Zone-C is changed as per description listed below:-

| Location          | Area   | Land-use (MPD-2021) | Land-use changed to   | Boundaries  |
|-------------------|--------|---------------------|---|---|
| (1)               | (2)    | (3)                 | (4)   | (5)   |
| Azadpur in Zone-C | 3.0 ha | 'Recreational'      | 'Transportation-T2' (MRTS Property Development/Composite Development) | East- Parnesli Wala Bagh (Recreational-District Park)<br>West- Azad Pur Chowk<br>North- G.T. Karnal Road/Mall Road<br>South- G.T. Road/Recreational (District Park) |

[No. K-13011/2009-DD1B]

U. VISWANADHAM, Under Secy.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2245]  
No. 2245]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अक्टूबर 28, 2010/कार्तिक 6, 1932  
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 28, 2010/KARTIKA 6, 1932

दिल्ली विकास प्राधिकरण  
(मुख्य योजना अनुभाग)  
अधिसूचना

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY  
(MASTER PLAN SECTION)  
NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2010

विषय :—दिल्ली मुख्य योजना - 2021 के लागू होने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) के लिए सरकारी विभागों (केन्द्र सरकार/रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विभागों) से लिए जाने वाले प्रभारों का निर्धारण।

Sub :—Fixation of charges for additional FAR arising out of MPD-2021 from Government Departments (Central Government/GNCTD Departments).

का.आ. 2661(अ).—दिल्ली मुख्य योजना-2021 के लागू होने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) प्रभार देने की दरें वर्ष 2007-08 के लिए सं. का.आ. 2955(अ), दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 द्वारा अधिसूचित की गई थी और उन्हें वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के लिए क्रमशः अधिसूचना सं. का.आ. 2906(अ), दिनांक 17 नवम्बर, 2009 और सं. का.आ. 1257(अ), दिनांक 31 मई, 2010 द्वारा आगे बढ़ा दिया गया था। अब दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा संशोधन किया है कि दिल्ली मुख्य योजना - 2021 के लागू होने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) प्रभारों के संबंध में सरकारी विभागों (केन्द्र सरकार/रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विभागों) से कोई प्रभार असूल नहीं किया जाएगा। दिनांक 8 अक्टूबर, 2008 के कार्यालय आपन के अन्य विवरण अपरिवर्तित रहेंगे।

S.O. 2661(E).—The rates for grant of additional FAR charges arising out of MPD-2021 were notified for the year 2007-08 vide No. S.O. 2955(E), dated 23rd December, 2008 and further extended for the year 2008-09 and 2009-10 vide notification No. S.O. 2906(E), dated 17th November, 2009 and No. S.O. 1257(E), dated 31st May, 2010 respectively. Now, Delhi Development Authority, in exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) with the previous approval of the Central Government, hereby makes the modification that no charges are to be levied towards Additional FAR charges arising out of MPD-2021 from Government Departments (Central Government/GNCTD Departments). The contents of O.M. dated 8th October, 2008 will remain unchanged.

[सं. एफ-20(4)05/एम.पी.पार्ट-II/पार्ट]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव.

[No. F-20(4)05/MP/P-I/Part]

D. SARKAR, Commr.-cum-Secy.

4195 GU/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064  
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 429]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 10, 2011/फाल्गुन 19, 1932

No. 429]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 10, 2011/PHALGUNA 19, 1932

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2011

का.आ. 500(अ).—यतः नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान में केंद्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 19 मई, 2010 के सं. का.आ. 1183(अ) की सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथाअपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए थे:

2. यतः दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त अपत्तियों/सुझावों पर विचार किया गया है; और

3. यतः केंद्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 में निम्नलिखित संशोधन कर्ती है।

संशोधन  
सेक्टर-17, ट्रारका, नई दिल्ली, जोन "के-II" में आने वाले 1.0 हेक्टेयर के माप वाले निम्न भू-क्षेत्र का उपयोग 'सार्वजनिक एवं अर्ध-सरकारी सुविधाओं' से 'सरकारी कार्यालय/कोर्ट' में नीचे दिए विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है :-

| स्थान                                 | क्षेत्रफल    | भू-उपयोग<br>(एमपीडी-2021)             | भू-उपयोग<br>परिवर्तित      | सौभाग   |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------|---|
| 1                                     | 2            | 3                                     | 4                          | 5   |
| जोन "के-II" में<br>सेक्टर-17, ट्रारका | 1.0 हेक्टेयर | 'सरकारी एवं अर्ध-<br>सरकारी सुविधाएं' | 'सरकारी<br>कार्यालय/कोर्ट' | उत्तर- 45 मी. चौड़ी सड़क, न्यायिक अकादमी-<br>पूर्व- 30 मीटर चौड़ी सड़क, सार्वजनिक एवं<br>अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं<br>दक्षिण- कर्माण्ड टैंक<br>पश्चिम- जनरल हॉस्पिटल, सेक्टर-17<br>60 मीटर चौड़ी सड़क |

[फ. सं. के-13011/1/2010-डी डी आई सी]

यू. विश्वनाथम, अवर सचिव

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2011

S.O. 500(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 1183(E), dated 19th May, 2010 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi, 2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi, 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India :

## Modification :

The land use of the following area measuring 1.0 ha. in Sector 17, Dwarka, New Delhi in Zone 'K-II' from 'Public and Semi-Public Facilities' to 'Government Office/Courts' is changed as per description listed below :-

| Location                         | Area    | Land use (MPD-2021)                 | Land Use changed to        | Boundaries  |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------|---|
| 1                                | 2       | 3                                   | 4                          | 5   |
| Sector 17, Dwarka in Zone 'K-II' | 1.0 Ha. | 'Public and Semi-Public Facilities' | 'Government Office/Courts' | North - 45m wide road, Judicial Academy.<br>East - 30m wide road, Public & Semi-Public Facilities.<br>South - Command Tank.<br>West - General Hospital, Sector-17, 60m wide road. |

[F.No. K-130/1/2010-DDIB]

U. VISWANADHAM, Under Secy.





# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 636]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 18, 2011/वैश 28, 1933

No. 636]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 18, 2011/CHAITRA 28, 1933

राष्ट्रीय विकास पंचालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2011

का.अ. 751(अ).—यह नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 4-2-2009 को सं. का.अ. 398(अ) की खर्चबंदी सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अन्दर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राच्य अर्थविदों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित जांच और सुनवाई बोर्ड तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भी विचार किया गया है; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने घपले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

| क्रम सं. | पृष्ठ सं. | दिल्ली मास्टर प्लान-2021 का पैरा/खंड सं. | संशोधन  |
|----------|-----------|--|---|
| 1.       | 15        | 3.3.1.1(ए)(vii)                          | "डी एम आर सी का समर्पित विकास" शब्दों को निकाल दिया जाए।  |
| 2.       | 82        | मेट्रो स्टेशनों के लिए विकास नियंत्रण    | क्रम सं. 1 में "मेट्रो स्टेशनों के लिए विकास नियंत्रण" शीर्षक के अन्तर्गत "डीटीए की तकनीकी समिति के अनुमोदन के अध्याधीन" शब्दों को निकाल दिया जाए।  |
| 3.       | 82        | मेट्रो स्टेशनों के लिए विकास नियंत्रण    | उप-क्रम सं. (v) के बाद क्रम सं. 3 में "मेट्रो स्टेशनों के लिए विकास नियंत्रण" शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित संशोधनएं जोड़ी जाएं :—<br>(vi) प्रचलन और अनुक्षण स्टाफ के लिए पार्सी और प्रशिक्षण केंद्र।<br>(vii) प्रचलन और मेट्रो सुरक्षा कार्मिकों के लिए ही आश्रय।<br>(viii) मेट्रो परियोजनाओं के निर्माण के लिए शुरू किए जाने वाले पुनर्वास कार्य।<br>(ix) खर्चबंदी सुविधाओं के लिए मेट्रो स्टेशनों में टुकाने।<br>(x) मेट्रो स्टेशनों के अन्दर प्लेटफार्म के ऊपर ध्रुवबद्ध। |

[फा. सं. के-12011/3/2007-डोटी-1]के]

यु. विरतचरण, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT  
(DELHI DIVISION)  
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2011

S.O. 751(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 394(E), dated 4-2-2009 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions with regard to the proposed modifications have been considered by a Board of Enquiry and Hearing, set up by the Delhi Development Authority and also by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

| Sl. No. | Page No. | Para/Clause No. of MPD-2021             | Modifications  |
|---------|----------|---|--|
| 1.      | 15       | 3.3.1.1A(vii)                           | The words "Property development of DMRC" shall be deleted.   |
| 2.      | 82       | Development Controls for Metro Stations | Under the Heading "Development Controls for Metro Stations" in Sl. No. 1 the words "Subject to approval of Technical Committee of DDA" shall be deleted.   |
| 3.      | 82       | Development Controls for Metro Stations | Under the Heading "Development Controls for Metro Stations" in Sl. No. 3 after Sub Sl. No. (vi), the following structures shall be added:<br>(vi) Recruitment and Training Centers for operational and maintenance staff.<br>(vii) Housing for operational staff and Metro security personnel only.<br>(viii) Rehabilitation work to be undertaken for the construction of Metro Project.<br>(ix) Shops in Metro Stations to cater to the public amenities.<br>(x) Structure above platform over the foot print of the Metro Stations. |

[F.No. K-12011/3/2007-DDIB]

U. VISWANADHAM, Under Secy.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

वापिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6721

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 26, 2011/वैशाख 6, 1933

No. 6721

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 26, 2011/VAISAKHA 6, 1933

राष्ट्रीय विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रणम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2011

का.आ. 789(अ)—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 29 सितम्बर, 2010 की का.आ.सं. 2352(ई) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिनों के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उपखण्ड-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एनद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

1427 GJ/2011

(1)

67

संशोधन:

I. कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली के जोन-डी के दक्षिण में स्थित 27.97 हेक्टेयर क्षेत्र मध्य के निम्नलिखित क्षेत्र का भू-उपयोग के अनुसार परिवर्तित किया जाता है :-

| स्थान  | क्षेत्र        | भू-उपयोग (एपीडी-2021)                      | भूमि उपयोग का परिवर्तन               | सीमाएं   |
|--|----------------|--|--------------------------------------|--|
| कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, जोन-डी के दक्षिण में | 27.97 हेक्टेयर | सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक (पी टच डी); | मनोरंजनात्मक (पी-1, क्षेत्रीय पार्क) | उत्तर- कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र दक्षिण- क्षेत्रीय पार्क पूर्व- उत्तम सांस्थानिक क्षेत्र पश्चिम- जे एन यू रोड |

II. कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली के जोन-जे के दक्षिण में स्थित 20 हेक्टेयर क्षेत्र मध्य के निम्नलिखित क्षेत्र के भू-उपयोग को (विद्यमान एम.जी. रोड के साथ प्रस्तावित एम.जी. रोड के साथ प्रस्तावित 80.0 मीटर आर / डब्ल्यू अर्थात् 3.39 हेक्टेयर के क्षेत्र को छोड़कर) नीचे सूचीबद्ध विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है :-

| स्थान  | क्षेत्र   | भू-उपयोग (एपीडी-2021)   | भूमि उपयोग का परिवर्तन                              | सीमाएं  |
|--|---|---|---|---|
| महरीली महिपातपुर रोड, जोन जे के दक्षिण में (विद्यमान एम जी रोड क्षेत्र के साथ प्रस्तावित एम जी रोड के साथ प्रस्तावित 80.0 मीटर आर / डब्ल्यू अर्थात् 3.39 हेक्टेयर क्षेत्र को छोड़कर) | (क) 4.80 हेक्टेयर<br>(ख) 8.90 हेक्टेयर<br>(ग) 6.30 हेक्टेयर<br>योग:<br>(क) + (ख) +<br>(ग) = 20 हेक्टेयर | मनोरंजनात्मक (पी-1 क्षेत्रीय पार्क)<br>मनोरंजनात्मक (पी-1 क्षेत्रीय पार्क)<br>मनोरंजनात्मक (पी-1 क्षेत्रीय पार्क) | परिवहन<br>मनोरंजनात्मक (पी-1 जिला पार्क)<br>रिहायशी | उत्तर- महरीली महिपातपुर रोड दक्षिण तथा पश्चिम - एम जी रोड 2021 में प्रस्तावित मौजूदा भू-उपयोग प्लान के अनुसार क्षेत्रीय पार्क की सीमाओं के अनुसार पूर्व - महरीली गुडगाव रोड तथा भाटी माइन रोड |

[फा. सं. के-12011/21/2009 टी डी आई सी]

यू. विरवानाम, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT  
(DELHI DIVISION)  
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2011

S.O. 789(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No.2352(E) dated 29<sup>th</sup> September, 2010 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

## Modification :

- I. The land use of the following area admeasuring 27.97 Ha. situated at South of Qutab Institutional Area, New Delhi falling in Zone-D is changed as per description listed below:-

| Location                                  | Area      | Land use (MPD-2021)         | Land Use changed to                 | Boundaries   |
|---|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| 1   | 2         | 3                           | 4                                   | 5  |
| South of Qutab Institutional Area, Zone-F | 27.97 Ha. | 'Public & Semi-Public (PSP) | 'Recreational (P-1, Regional Park)' | North - Qutab Institutional Area<br>South - Regional Park<br>East - Qutab Institutional Area<br>West - J.N.U. Road |

- II. The land use of the following area admeasuring 20 Ha. situated at South of Mehrauli-Mahipalpur Road, New Delhi falling in Zone-J (excluding area of existing M.G. Road with proposed M.G. Road with proposed 80.0 mt. R/W i.e. 3.39 Ha.) is changed as per description listed below:-

| Location  | Area                       | Land use (MPD-2021)                | Land Use changed to                | Boundaries   |
|---|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| 1   | 2                          | 3                                  | 4                                  | 5  |
| South of Mehrauli Mahipalpur Road Zone-J (excluding area of existing M.G. Road with proposed M.G. Road with proposed 80.0 mt. R/W i.e. 3.39 Ha) | (a) 4.80 Ha.               | 'Recreational (P-1 Regional Park)' | 'Transportation'                   | North - Mehrauli-Mahipalpur Road<br>South & West - Boundaries of Regional Park as per the existing Land Use Plan contained in MPD-2021<br>East - Mehrauli-Gurgaon Road & Bhatti Mines Road |
|   | (b) 8.90 Ha.               | 'Recreational (P-1 Regional Park)' | 'Recreational (P-2 District Park)' |  |
|   | (c) 6.30 Ha.               | 'Recreational (P-1 Regional Park)' | 'Residential'                      |  |
|   | Total-(a)+(b)+(c) = 20 Ha. |                                    |                                    |  |

[F. No. K-12011/21/2009-DDIB]

U. VISWANADHAM, Under Secy.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1203]  
No. 1203]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 2011/आषाढ़ 3, 1933  
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 2011/ASADHA 3, 1933

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2011

**विषय :** दिल्ली मुख्य योजना-2021 के कारण बचे हुए एफ.ए.आर. के लिए उपयोग परिवर्तन, मिश्रित भूमि उपयोग और अन्य प्रभारों के लिए लागू की जाने वाली दरों का निर्धारण [ औद्योगिक प्लॉटों के अतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिए दरों की कमी अर्थात् अधिसूचना सं. का.आ. 2955(अ), दिनांक 23-12-2008 की मद सं. 5(च) ]।

का.आ. 1441(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, औद्योगिक प्लॉटों के संबंध में अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभारों की दरों में कमी करने के संबंध में भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 2955(अ), दिनांक 23-12-2008 में निम्नलिखित शोधन करता है :—

दिनांक 23-12-2008 की अधिसूचनाओं का पैरा 5(च) निम्नलिखित द्वारा बदला जाएगा :

(दरें प्रतिवर्ग मीटर रु. में)

| क्रम सं. | क्षेत्र                         | शहरी विकास मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित संशोधित दरें (जार के 25 प्रतिशत की दर से) |
|----------|---------------------------------|---|
| 1.       | केन्द्रीय, दक्षिण एवं द्वारका   | रु. 10295   |
| 2.       | उत्तर, पूर्व, पश्चिम एवं रोहिणी | रु. 7171  |
| 3.       | नरेला                           | रु. 4875  |

दिनांक 23-12-2008 की अधिसूचना के अन्य विवरण अपरिवर्तित रहेंगे।

ये दरें केन्द्र सरकार के अनुमोदन से आगे संशोधित और अधिसूचित किए जाने तक लागू रहेंगी।

[ फा. सं. 20(4)05/एच.पी./पार्ट-II/पार्ट ]

डी. सरकार, अध्यक्ष एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY  
(MASTER PLAN SECTION)  
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2011

Sub. : Fixation of the rates to be applied for use conversion, mixed land use and other charges for enhanced FAR arising out of MPD-2021 [reduction of rates for additional FAR of industrial plots i.e. Item No. 5(f) of the Notification No. S.O. 2955(E), dated 23-12-2008].

S.O. 1441(E).—In exercise of powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority with the previous approval of the Central Government hereby makes the following modification to Notification No. S.O. 2955(E), dated 23-12-2008, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) with regard to reduction in rates of additional FAR charges in respect of industrial plots.

Para 5(f) of the notifications dated 23-12-2008 shall be substituted by the following :

| Sl. No. | Zone                         | Modified rates (@25% of ZAAR) as approved by MOUD | (Rates in Rs. Per Sqm.) |
|---------|------------------------------|---|-------------------------|
| 1.      | Central, South and Dwarka    |   | Rs. 10295               |
| 2.      | North, East, West and Rohini |   | Rs. 7171                |
| 3.      | Narela                       |   | Rs. 4875                |

Other contents of the notification dated 23-12-2008 will remain unchanged.

These Rates will remain in force till these are further modified and notified with the approval of the Central Government.

[ F. No. 20(4)05/MP/Pt-II/Part ]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.



383/c

सं. डी० एल०-33004/99

REGD NO. D.L.-33004/99



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1872] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 29, 2011/आश्विन 7, 1933  
No. 1872] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2011/ĀSHVINA 7, 1933

शहरी विकास मंत्रालय  
(दिल्ली प्रभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2011

क्र.आ. 2261(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 13 अक्टूबर, 2010 की सं. का.आ. 2550(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तोम दिन के अन्दर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथाअपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

योजना जोन 'डी' में त्यागराज नगर में 65466.23 वर्ग मी. के भू-उपयोग का (i) "आवासीय" (780.03 वर्ग मी.) और (ii) मनोरंजनार्थक (डिस्ट्रिक्ट पार्क) (63686.20 वर्ग मी.) से सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं (सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियां) में परिवर्तन।

इन प्लानों की चारदीवारी का विवरण निम्नानुसार है :-

| स्थिति                          | क्षेत्र             | भू-उपयोग<br>(एपीडी-2021) | परिवर्तित<br>भू-उपयोग   | संगोपण   |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------|---|--|
| (1)                             | (2)                 | (3)                      | (4)   | (5)  |
| योजना जोन "डी" में त्यागराज नगर | (i) 780.03 वर्ग मी. | "आवासीय"                 | सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं (सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधि) | उत्तर-आवासीय (मौजूदा पार्क) दक्षिण और पूर्व - त्यागराज स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स पश्चिम-आवासीय (उच्चतर सांघ्यिक विद्यालय) |

3652 GI/2011

(1)

73

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(ii) 64686.20 वर्ग मी. "पनोरजन्यात्मक"  
(डिस्ट्रिक पार्क)

सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक  
सुविधाएं (सामाजिक-सांस्कृतिक  
गतिविधि)

उत्तर-श्री गंगा नद्य मार्ग  
(24.38 मी. पार्कधिकार)  
दक्षिण - चन्दु लाल बाल्मिकी  
मार्ग और नाला  
पूर्व : डिस्ट्रिक पार्क  
पश्चिम-आवासीय (उच्चतर  
माध्यमिक विद्यालय)

[फा. सं. के-13011/3/2010-टी डी आई नो]

सुनील कुमार, अवर सचिव

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2011

S.O. 2261(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 2550(E) dated, 13th October, 2010 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

## Modification:

The change of land use of 65466.23 sq.m. from (i) 'Residential' (780.03 sq.m.) and (ii) 'Recreational' (District Park) (64686.20 sq.m.) to 'Public and Semi-public facilities (Socio-Cultural activity)' at Thayagraja Nagar, in planning Zone 'D'. The boundary description of the plots are as under:—

| Location                              | Area                | Land Use (MPD-2021)            | Land Use changed to   | Boundaries   |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|
| (1)                                   | (2)                 | (3)                            | (4)   | (5)  |
| Thayagraja Nagar in planning Zone 'D' | (i) 780.03 sq.m.    | 'Residential'                  | Public and Semi-public facilities (Socio-Cultural activity) | North : Residential (Existing Park)<br>South and East : Thayagraj Sports Complex<br>West : Residential (Sr. Secondary School)                                |
|                                       | (ii) 64686.20 sq.m. | 'Recreational (District Park)' | Public and Semi-public facilities (Socio-Cultural activity) | North : Shri Ganganath Marg. (24.38 m R/W)<br>South : Chandu Lal Balmiki Marg and drain<br>East : District Park<br>West : Residential (Sr. Secondary School) |

[F. No. K-13011/3/2010-DDIB]

SUNIL KUMAR, Under Secy.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1958।  
No. 1958।

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 12, 2011/आश्विन 20, 1933  
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 2011/ASVINA 20, 1933

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2011

का.आ. 2350(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 6 नवम्बर, 2009 की सं. का.आ. 2852(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए ।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है ; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है !

4. अतः, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उपखण्ड(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है ।

संशोधन:

मादीपुर जोन (जोन जी-10) में 2.5 हेक्टेयर के भू-उपयोग का 'आवासीय उपयोग से सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक उपयोग (अस्पताल)' में परिवर्तन। चारदीवारी का विवरण निम्नानुसार है:-

| स्थिति              | क्षेत्र      | भू-उपयोग<br>(एपीडी-2021) | परिवर्तित<br>भू-उपयोग                             | सीमाएं  |
|---------------------|--------------|--------------------------|---|---|
| मादीपुर (जोन जी-10) | 2.5 हेक्टेयर | आवासीय<br>उपयोग          | सार्वजनिक और<br>अर्ध-सार्वजनिक<br>उपयोग (अस्पताल) | उत्तर- हरित क्षेत्र(पार्क)<br>दक्षिण - आवासीय प्लॉट<br>पूर्व- प्लॉट एवं स्कूल<br>पश्चिम- स्कूल एवं खुला स्थान |

[फा सं. के-13011/13/2009-डी डी। बी।]  
सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT  
(Delhi Division)  
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2011

S.O. 2350(E).— Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No.2852(E) dated 6<sup>th</sup> November, 2009 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government

hereby makes the following  
Delhi- 2021 with effect  
Notification in the Gazette

the said Master Plan for  
of Publication of this

**Modification :**

The change of land use of 2.5 Ha. from 'Residential Use' (to 'Public and Semi-public Use (Hospital)' at Madipur Zone (Zone G-10). The boundary descriptions are as under:-

| Location              | Area    | Land use (MPD-2021) | Land Use changed to                    | Boundaries  |
|-----------------------|---------|---------------------|--|---|
| 1                     | 2       | 3                   | 4                                      | 5   |
| Madipur (Zone 'G-10') | 2.5 Ha. | 'Residential Use'   | 'Public and Semi-Public Use (Hospital) | North:Green Area (Park)<br>South: Residential Flats<br>East: Flats & School<br>West : School & Open Space |

[F. No. K-13011/13/2009-DDIB]

SUNIL KUMAR, Under Secy.



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्रधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1959]  
No. 1959]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 12, 2011  
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER

933

शहरी विकास मंत्रालय  
(दिल्ली प्रभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2011

का.आ. 2351(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 25 नवम्बर, 2010 की सं. का.आ. सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिफिकेशन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित किए गए।

केन्द्र  
61)  
केन्द्र  
केन्द्र

2. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार कर मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

दिल्ली के

3. अतः, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उपखण्ड(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

| क्र०सं० | एम.पी.डी-2021 का पृष्ठ सं०/ पैरा/खण्ड  | संशोधन                                     |
|---------|--|--|
| 1.      | पैरा 12.12.2 के तहत पृष्ठ सं० 78 विकास | मद (vii) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाता है:- |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| नियंत्रण मानदण्ड और अनुमति । | (viii) विद्यमान पेट्रोल पम्पों के मामले में उपयुक्त फीस/ प्रभार/ दुरुपयोग, दण्ड और अन्य प्रभारों के भुगतान की शर्त पर केवल उन पचूल स्टेशनों/पेट्रोल पम्पों जो कि उक्त मद i, ii और iii में निहित नियंत्रण का पालन करते हैं, वाणिज्यिक गतिविधि हेतु अधिकतम 10 एफ.ए.आर. के प्रावधान की अनुमति होगी । |
|------------------------------|---|

[फा. सं. के-12011/24/2009-डी डी 1 बी]

सुनील कुमार, अवर सचिव

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2011

S.O. 2351(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 regarding Development Control Norms and Permissibility which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 2841(E), dated 25th November, 2010 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas the Central Government have considered all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi.

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby issue this Notification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication in the Gazette of India.

## Modification :

| S.No. | Page No./para/ clause No. of MPD-2021                                      | Modification  |
|-------|--|---|
| 1.    | Page No.78 Under para 12.12.2 Development Control Norms and permissibility | After point (vii) the provision of maximum commercial activity is permissible only to those fuel stations which conform to the controls given in points i, ii and iii, above subject to payment of appropriate fees/ levies/ misuse, penalty and other charges. |

[F.No. K-12011/24/2009-DDIB]

SUNIL KUMAR, Under Secy.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1960]  
No. 1960]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 12, 2011/अ  
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 2

शहरी विकास मंत्रालय  
(दिल्ली प्रभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2011

का.आ. 2352(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 की सं. व. सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उ से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षा आमंत्रित किए गए।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उपखण्ड(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।



संशोधन:

हरकेश नगर में निम्नलिखित 2000 वर्ग मी० क्षेत्र के भू-उपयोग का मनोरंजन (जिला पार्क) से 'सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक (सामुदायिक हॉल)' में परिवर्तन नीचे दिए गए विवरणानुसार किया है:-

| स्थिति                    | क्षेत्र       | भू-उपयोग<br>(एपीडी-2021) | परिवर्तित<br>भू-उपयोग                               | सीमाएं   |
|---------------------------|---------------|--------------------------|---|--|
| जोन "एफ" में<br>हरकेश नगर | 2000 वर्ग मी० | मनोरंजन<br>(जिला पार्क)  | 'सार्वजनिक और<br>अर्ध-सार्वजनिक'<br>(सामुदायिक हॉल) | उत्तर पूर्व- प्रस्तावित 9 मी०<br>रोड<br>दक्षिण पूर्व - दिल्ली जल बोर्ड<br>की बाउंड्री वाल<br>उत्तर पूर्व- डिस्ट्रिक्ट पार्क<br>दक्षिण पूर्व- डिस्ट्रिक्ट पार्क |

[फा. सं. के-13011/9/2009-डी डी I बी]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2011

S.O. 2352(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No.2710(E) dated 28<sup>th</sup> October, 2009 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

**Modification :**

The land use of the following area measuring 2000 sqm. from 'Recreational' (District Park) to 'Public & Semi Public' (Community Hall) at Harkesh Nagar is changed as per description listed below:-

| Location               | Area         | Land use (MPD-2021)            | Land Use changed to                     | Boundaries  |
|------------------------|--------------|--------------------------------|---|---|
| 1                      | 2            | 3                              | 4                                       | 5   |
| Harkesh Nagar Zone 'F' | In 2000 sqm. | 'Recreational' (District Park) | 'Public & Semi Public' (Community Hall) | North East: Proposed 9 M Road<br>South East: Boundary wall of Delhi Jal Board<br>North East: District Park<br>South East: District Park |

[F. No. K-13011/9/2009-DDIB]  
SUNIL KUMAR, Under Secy.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 9, 2012/वीव 19, 1933

No. 39]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 2012/PAUSA 19, 1933

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2012

का.आ. 46(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2011 की का.आ.सं. 687(ई) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिनों के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए के उप धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपतियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपतियां/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-ए के उप-धारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:-

संशोधन:

| क्र०सं० | विषय   | भूमि उपयोग का परिवर्तन   | संसार  |
|---------|--|--|--|
| 1.      | नई दिल्ली योजना जोन 'डी' में सफदरजंग में रेलवे सुचना प्रणाली केन्द्र (सीआरआईएस) कार्यालय के 18557.82 वर्ग मी. क्षेत्रफल के भू-उपयोग का प्रस्तावित परिवर्तन | 'मनोरंजनात्मक' से 'सरकारी' (सरकारी कार्यालय) इस शर्त पर कि विदेश मिशन के लिए दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 के अनुसार विकास नियंत्रण इस परिसर पर लागू होगा। | उत्तर - चैक एवं स्लोवाक दूतावास<br>पूर्व - चैक दूतावास के साथ अकबर भवन से सफदरजंग रेलवे स्टेशन फुट ओवर ब्रिज तक जाने वाली सड़क<br>दक्षिण - रेलवे ट्रैक<br>पश्चिम - शान्ति पथ |

[फा. सं. के-13011/4/2010-डी डी 1 बी]

सुनील कुमार, अवर सचिव

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2012

S.O. 46(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 687(E), dated 4th April, 2011 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi, 2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India:

## Modification

| Sl. No. | Subject  | Change of land use  | Boundaries  |
|---------|--|---|---|
| 1.      | Proposed change of land use of the area measuring 18557.82 sq.m of the Centre for Railway Information Systems (CRIS) office at Safdurjung, New Delhi in Planning Zone 'D'. | From 'Recreational' to 'Government (Government Office)', subject to the condition that development control as per MPD-2021 for foreign mission shall be applicable for this premises. | North : Czech and Slovak Embassies.<br>East : Road leading to the footover bridge of the Safdurjung Railway Station from Akbar Bhavan along the Czech Embassy.<br>South : Railway Track.<br>West : Shanti Path. |

[F. No. K-13011/4/2010-D/DIB]

SUNIL KUMAR, Under Secy.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 511

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 11, 2012/पौष 21, 1933

No. 511

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 11, 2012/PAUSA 21, 1933

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2012

का.आ. 60(अ).— यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा -44 के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2011 की सार्वजनिक सूचना सं. 89(ई) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिनों के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपतियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपतियां/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने मामलों के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:-

(1)

संशोधन: जोन- एफ में ओल्ड जे एन यू कैम्पस में केन्द्रीय सूचना आयोग के लिए निम्नलिखित 4653.00 वर्ग मी० माप के क्षेत्र का भू-उपयोग नीचे सूचीबद्ध वर्णन के अनुसार सार्वजनिक और अर्ध- सार्वजनिक सुविधाओं से सरकारी( सरकारी कार्यालय) में नीचे वर्णित व्यौरों के अनुसार इस शर्त पर परिवर्तित किया जाता है कि इस विन्यास नक्शे को यातायात अध्ययन कराने के पश्चात् अनुमोदित किया जाना है:-

| स्थान   | क्षेत्र          | भूमि उपयोग<br>(एमपीडी-2021)                                | भूमि उपयोग का<br>परिवर्तन | सीमाएं   |
|---|------------------|--|---------------------------|--|
| जोन-<br>एफ में<br>ओल्ड जे<br>एन यू<br>कैम्पस<br>में<br>केन्द्रीय<br>सूचना<br>आयोग | 4653<br>वर्ग मी० | सार्वजनिक एवं अर्ध-<br>सार्वजनिक<br>उपयोग(जे.एन.यू.कैम्पस) | सरकारी उपयोग              | उत्तर- नर्सरी और<br>सी.आई.सी. संस्थान हेतु<br>प्रस्तावित प्लॉट<br>पश्चिम- नाला<br>पूर्व- विद्यमान क्वाटर्स<br>दक्षिण- 80 फुट चौड़ी<br>सड़क |

[फा सं के-13011/6/2010-डी डी। बी]  
सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2012

S.O. 60(E).— Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No.89(E) dated 17<sup>th</sup> January, 2011 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice. And

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority. And

# भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग 11-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्रधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 200]  
No. 200]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 3, 2012/माघ 14, 1933  
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 2012/MAGHA 14, 1933

शहरी विकास मंत्रालय  
(दिल्ली इकाय)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2012

क्र.अ. 225(अ).—यतः विकास नियंत्रण मानदण्डों और अनुमोदक के संबंध में केन्द्र सरकार का मास्टर प्लान दिल्ली-2021 में जिन कुछ संशोधनों को करने का प्रस्ताव था जिन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रवधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 25 जुलाई, 2011 के सं. का.अ. 1698(अ) के माध्यम से भारत के असाधारण राजपत्र में सार्वजनिक नोटिस के रूप में उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) में अपेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव, उक्त नोटिस की तिथि से 30 दिनों के भीतर आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था।

2. अतः केन्द्र सरकार ने इस मामले को सभी पहलुओं पर सख्त-समीक्षापूर्वक विचार करने के पश्चात् मास्टर प्लान दिल्ली-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

3. इसलिए, अब, केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उक्त मास्टर प्लान दिल्ली-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

मास्टर प्लान-2021 की तालिका 4.3 में, 'विदेशी मिशन' उपखंड परिसरों के लिए, अनुमोदक उपखंड/उपखंड गतिविधियों के कॉलम के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों को हटाया जाना है।  
“(रिहायशी घटक हेतु एफ.ए.आर. के अधिकतम 25% के साथ)”

[फा सं. के-12011/5/2007-डोडीबी]  
सुनील कुमार, अवर सचिव

362 GI/2012

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT  
(Delhi Division)  
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2012

S.O. 225(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 regarding Development Control Norms and Permissibility which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 1698(E), dated 25th July, 2011 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

In Table 4.3 of MPD-2021, for 'Foreign Mission' use premises, under column Use/Use Activities Permitted, the following words to be deleted.  
“(with maximum 25% of FAR for residential component)”

[F. No. K-12011/5/2007-DDIB]  
SUNIL KUMAR, Under Secy.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 641]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 4, 2012/चैत्र 15, 1934

No. 641]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 4, 2012/CHAITRA 15, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2012

का.आ. 732(अ).—यतः यहाँ नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 15/6/2011 की सा.आ.सं. 1399 (ई) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप धारा (3) द्वारा तथा अपेक्षित आपतियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में आपतियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानुपूर्वक विचार करने के पश्चात दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

96



जोन -डी में पाकेट-6ए, डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली में आने वाले निम्नलिखित 8095.80 वर्गमीटर क्षेत्र का भू-उपयोग 'आवासीय' से 'सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक' सुविधाओं में निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तन किया जाता है :

| अवस्थिति  | क्षेत्र                 | भू उपयोग<br>(एमपीडी-2021) | परिवर्तित भू-उपयोग                          | सीमाएं  |
|---|-------------------------|---------------------------|---|---|
| 1   | 2                       | 3                         | 4   | 5   |
| योजना जोन -<br>डीमें पाकेट-6ए<br>डीडीयू मार्ग, नई<br>दिल्ली | 8095.80<br>वर्ग<br>मीटर | 'आवासीय'                  | 'सार्वजनिक एवं अर्ध-<br>सार्वजनिक सुविधाएं' | उत्तर - डीडीयू मार्ग (36.58 मीटर भू-मालिकार)<br>दक्षिण - 10.0 मीटर चौड़ी सड़क<br>पूर्व - पाकेट-6 बी<br>पश्चिम - अस्थायी बाजार / स्थायी बाजार (1275 वर्ग मीटर) |

[सं. के-13011/4/2009-डी डी। नो]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT  
(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2012

S.O.732(E)—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No.1399(E) dated 15.6.2011 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

97

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

#### Modification :

The land use of the following area measuring 8095.80 sq.m. at Pocket 6-A, DDU Marg, New Delhi in planning Zone 'D' from 'Residential' to 'Public & Semi Public' facilities is changed as per description listed below:-

| Location  | Area          | Land use (MPD-2021) | Land Use changed to                 | Boundaries  |
|---|---------------|---------------------|-------------------------------------|---|
| 1   | 2             | 3                   | 4                                   | 5   |
| Pocket-6A, DDU Marg, New Delhi in Planning Zone 'D' | 8095.80 sq.m. | 'Residential'       | 'Public and Semi-Public Facilities' | North- DDU Marg (36.58m R/W)<br>South- 10.0 m wide Road<br>East- Pocket- 6B<br>West- Informal Bazar/ Rehri Bazar (1275 sq.m.) |

[No. K-13011/4/2009-DDIB]  
SUNIL KUMAR, Under Secy.

# भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1135]  
No. 1135]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 15, 2012/ज्येष्ठ 25, 1934  
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 15, 2012/JYAISTHA 25, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2012

का.आ. 1358(अ).—जबकि यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2010 के सं. का.आ. 1044(अ) द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें, उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिनों के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे; और

2. जबकि प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है; और

3. जबकि केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :-

जोन 'एफ' में निम्नलिखित क्षेत्रों के भूमि उपयोग को नीचे दिए गए विवरणानुसार परिवर्तित किया जाता है :-

| क्र.सं. | अवस्थिति   | भूमि उपयोग में परिवर्तन  | स्थल निम्नलिखित से घिरा हुआ है  |
|---------|--|--|---|
| 1       | 2  | 3  | 4   |
| 1.      | सेक्टर-10, आर.के.पुरम में 0.39 हेक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग में परिवर्तन                                | 'उद्योग' से 'सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक' (समाज सदन)  | दक्षिण :- सी आर पी एफ कैम्प, बाल बसेरा एवं सी एन जी स्टेशन ।<br>पश्चिम:- सुविधा बाजार के लिए निर्धारित खाली पड़ी भूमि ।<br>पूर्व:- 9 मीटर चौड़ी सड़क ।<br>उत्तर:- 9 मीटर चौड़ी सड़क ।           |
| 2.      | मस्जिद मोठ में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की 12.99 हेक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग में परिवर्तन      | 'आवासीय' से 'सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक' (पी एस-1, अस्पताल)  | उत्तर:- 18 मीटर चौड़ी सड़क ।<br>दक्षिण:- आंशिक रूप में निर्मित मकान और आंशिक रूप से 18 मीटर चौड़ी सड़क<br>पूर्व:- विद्यमान 18.0 मीटर चौड़ी सड़क<br>पश्चिम :- नाले से सटी हुई 18 मीटर चौड़ी सड़क |
| 3.      | एन एच-2 (मथुरा रोड) पर मोलड बंद के निकट 4.19 हेक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग में परिवर्तन                  | 'आवासीय' से 'सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक' (पी एस-1, अस्पताल)  | उत्तर :- आवासीय एवं रेलवे लाइन<br>दक्षिण:- आवासीय<br>पूर्व:- आवासीय<br>पश्चिम :- एन एच-2(मथुरा रोड)   |
| 4.      | अम्बेडकर नगर के समाज सदन (व्यावसायिक) में अस्पताल के लिए 1.0 हेक्टे. भूमि के भूमि उपयोग में परिवर्तन   | 'व्यावसायिक' से 'सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक' (पी.एस.-1, अस्पताल)   | उत्तर:समाज सदन(व्यावसायिक)<br>दक्षिण:विद्यमान आवासीय क्षेत्र<br>पूर्व: पुनर्विकसित क्षेत्र<br>पश्चिम: विद्यमान आवासीय क्षेत्र   |
| 5.      | विद्यमान मीठापुर सड़क को 60 मी. मार्गाधिकार तक चौड़ा करते हुए विद्यमान एन.टी.पी.सी. परिसर के दक्षिण की | 'आवासीय', 2.0 हेक्टेयर, 'सुविधाएं' (पावर प्लांट) 3.5 हेक्टेयर एवं 'आवासीय'(जिला पार्क) 0.6 हेक्टे. से 'परिवहन' | प्रस्तावित 60 मी. सड़क की निम्न सीमा है :-<br>उत्तर : एन.टी.पी.सी. की चार-दीवारी और मोलड बंद का आवासीय क्षेत्र  |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
|    | तरफ जैतपुर रोड के साथ दि.मु.यो.-2021 की प्रस्तावित 90 मी.चौड़ी सड़क में संरेखण के लिए सुधार करना   |   | दक्षिण: जिला पार्क और ताजपुर एवं मोलंड बंद एकरा का आवासीय क्षेत्र<br>पूर्व: आगरा नहर<br>पश्चिम : मथुरा रोड  |
| 6. | राष्ट्रीय लघु उद्योग परिसर के विद्यमान औद्योगिक उपयोग के भाग, के रूप में माँ आनंदमयी मार्ग स्थित 1.33 हेक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग में परिवर्तन | 'मनोरंजनात्मक' उपयोग (जिला पार्क) से औद्योगिक   | उत्तर : विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र<br>दक्षिण : मनोरंजनात्मक (जिला पार्क) एवं विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र<br>पूर्व: विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र एवं मनोरंजनात्मक (जिला पार्क)<br>पश्चिम : मनोरंजनात्मक (जिला पार्क)   |
| 7. | लाडो सराय में 6.6 हेक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग में परिवर्तन   | 'मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क) से निम्नानुसार अन्य उपयोग :<br>पाकेट-ए<br>क्षेत्र : 0.77 हैक्टे.<br>'मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क) से 'आवासीय'<br><br>पाकेट- बी<br>क्षेत्रफल : 0.71 हैक्टेयर<br>'मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क) से 'सार्वजनिक' एवं अर्ध-सार्वजनिक'<br>(अस्पताल, पी एस-1)<br><br>पाकेट- 'डी' से 'जे'<br>क्षेत्रफल : 0.68 हैक्टेयर<br>'मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क) से 'सार्वजनिक' एवं अर्ध सार्वजनिक'<br><br>पाकेट - एल<br>क्षेत्रफल : 2.0 हैक्टेयर<br>'मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क) से 'सार्वजनिक' एवं | उत्तर : पौधशाला<br>पूर्व : पौधशाला<br>दक्षिण : विद्यमान सड़क<br>पश्चिम : अरबिन्दो मार्ग-60 मी. मार्गाधिकार<br><br>उत्तर : गांव की सड़क<br>पूर्व : लाडो सराय गांव का निर्मित क्षेत्र एवं पार्क<br>दक्षिण : लाडो सराय गांव का निर्मित क्षेत्र<br>पश्चिम : अरबिन्दो मार्ग - 60 मीटर मार्गाधिकार<br>उत्तर : लाडो सराय गांव का निर्मित क्षेत्र<br>पूर्व : लाडो सराय गांव का निर्मित क्षेत्र<br>दक्षिण : स्थानीय सुविधा केन्द्र<br>पश्चिम : अरबिन्दो मार्ग - 60 मार्गाधिकार<br><br>उत्तर : लाडो सराय गांव एवं दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक विद्यालय का निर्मित क्षेत्र<br>पूर्व : गांव की सड़क |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    |  | अर्ध सार्वजनिक<br>(पी.एस.-I, महाविद्यालय)  | दक्षिण : लाडो सराय गांव का निर्मित क्षेत्र<br>पश्चिम : लाडो सराय गांव का निर्मित क्षेत्र  |
|    |  | पाकेट - के<br>क्षेत्रफल : 0.90 हैक्टेयर<br>'मनोरंजनात्मक' (जिला<br>पार्क) से सार्वजनिक एवं<br>अर्ध सार्वजनिक | उत्तर : लाडो सराय गांव का निर्मित क्षेत्र<br>पूर्व : बारात घर<br>दक्षिण : महरौली रोड़,<br>60 मीटर मार्गाधिकार<br>पश्चिम : कच्ची सड़क  |
|    |  | पाकेट - पी<br>क्षेत्रफल : 0.59 हैक्टेयर<br>'मनोरंजनात्मक' (जिला<br>पार्क) से 'आवासीय'<br>(स्थानीय बाजार)     | उत्तर : लाडो सराय गांव एवं<br>पाकेट 'जे' का निर्मित क्षेत्र<br>पूर्व : लाडो सराय गांव का निर्मित क्षेत्र<br>दक्षिण : गांव की सड़क<br>पश्चिम : महरौली रोड़, 60 मीटर<br>मार्गाधिकार |
|    |  | पाकेट - एक्स<br>क्षेत्रफल : 0.95 हैक्टेयर<br>'मनोरंजनात्मक' (जिला<br>पार्क ) से 'आवासीय'                     | उत्तर : सुविधा बाजार<br>पूर्व : लाडो सराय गांव का निर्मित क्षेत्र<br>दक्षिण : लाडो सराय गांव का निर्मित क्षेत्र<br>पश्चिम : लाडो सराय गांव का निर्मित क्षेत्र                     |
| 8. | सीरी फोर्ट परिसर के समीप 10.93 हैक्टेयर का क्षेत्र | 'मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क) से सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (खेल परिसर)                                      | उत्तर : सीरी फोर्ट रोड़<br>दक्षिण : सीरी फोर्ट खेल परिसर<br>पश्चिम : सीरी फोर्ट सांस्थानिक क्षेत्र<br>पूर्व : मनोरंजनात्मक (जिला पार्क)   |

[फा. सं. के-12011/3 जोन-एफ/2010-डीडीआईबी]

सुनील कुमार, अवर सचिव

96/C

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2012

S.O. 1358(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No.1944(E) dated 10<sup>th</sup> August, 2010 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice. And

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority. And

Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

113

215961/12-2

**Modification :**

The land use of the following areas in Zone 'F' is changed as per description listed below:-

| Sl. No. | Location  | Change of Land Use                                       | The site is Bounded by the following  |
|---------|---|--|---|
| 1       | 2   | 3  | 4   |
| 1.      | Change of land use of land measuring 0.39 ha. in Sector-10, R.K. Puram  | 'Industry' to 'Public & Semi Public' (Samaj Sadan)       | <b>South:</b> CRPF Camp, Bal Basera & CNG Station<br><b>West:</b> Vacant Land earmarked for Convenient Shopping Centre.<br><b>East:</b> 9 mtr. wide road<br><b>North:</b> 9 mtr. wide road.                       |
| 2.      | Change of land use of land measuring 12.99 ha. owned by All India Institute of Medical Sciences at Masjid Moth. | 'Residential' to 'Public & Semi Public' (PS-I, Hospital) | <b>North:</b> 18.0 mts. wide Road<br><b>South:</b> Partly built up houses and partly 18.0 mts. wide road.<br><b>East:</b> Existing 18.0 mts. wide road.<br><b>West:</b> 18.0 mts. wide Road adjoining the Nallah. |
| 3.      | Change of land use of land measuring 4.19 ha. on NH-2 (Mathura Road) near Mollar Band.                          | 'Residential' to 'Public & Semi Public' (PS-I, Hospital) | <b>North:</b> Residential & Railway Line<br><b>South:</b> Residential<br><b>East:</b> Residential<br><b>West:</b> NH-2 (Mathura Road)   |



|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 4. | Change of land use of land measuring 1.0 ha. for Hospital in the Community Centre (Commercial) of Ambedkar Nagar.  | 'Commercial' to 'Public & Semi Public' (PS-I, Hospital)   | <b>North:</b> Community Centre (Commercial)<br><b>South:</b> Existing Residential Area<br><b>East:</b> Redevelopment Area<br><b>West:</b> Existing Residential Area   |
| 5. | Modification in the 90 meter wide. Proposed road of MPD-2021, adjoining to Jaitpur Road, for its alignment on southern side of the existing NTPC Complex by widening existing Meethapur Road to 60 M. R/W. | 'Residential', 2.0 ha., 'Utilities' (Power Plant) 3.5 ha. & 'Residential' (District Park) 0.6 ha. to 'Transportation'                                 | Proposed 60 M. Road has following boundaries:<br><b>North:</b> Boundary of NTPC & residential area of Mollar Band<br><b>South:</b> District Park & Residential area of Tajpur & Mollar Bank Extn.<br><b>East:</b> Agra Canal<br><b>West:</b> Mathura Road |
| 6. | Change of land use of land measuring 1.33 ha. located on Maa Anand Mai Marg, as part of the existing Industrial Use of National Small Scale Industry Complex.  | 'Recreational' Use (District Park) to 'Industrial'  | <b>North:</b> Existing Industrial Area<br><b>South:</b> Recreational (District Park) & Existing Industrial Area.<br><b>East:</b> Existing Industrial area & Recreational (District Park).<br><b>West:</b> Recreational (District Park).                   |
| 7. | Change of land use of land measuring 6.6 ha. at Lado Sarai   | 'Recreational' (Distt. Park) to Other uses as given below:-<br><br><b>Pocket-A</b><br>Area: 0.77 ha.<br>'Recreational' (Distt. Park) to 'Residential' | <b>North:</b> Plant Nursery<br><b>East:</b> Plant Nursery<br><b>South:</b> Existing Road<br><b>West:</b> Aurobindo Marg-60mt. R/W.  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p><b>Pocket-B</b><br/>Area: 0.71 ha.<br/>'Recreational' (Distt. Park) to 'Public and Semi Public' (Hospital, PS-I)</p> <p><b>Pocket 'D' to 'J'</b><br/>Area: 0.68 ha.<br/>'Recreational' (Distt. Park) to 'Public and Semi Public'</p> <p><b>Pocket-L</b><br/>Area: 2.0 ha.<br/>'Recreational' (Distt. Park) to 'Public and Semi Public' (PS-I, College)</p> <p><b>Pocket-K</b><br/>Area: 0.90 ha.<br/>'Recreational' (Distt. Park) to Public and Semi Public</p> <p><b>Pocket-P</b><br/>Area: 0.59 ha.<br/>'Recreational' (Distt. Park) to 'Residential' (Local Shopping Centre).</p> | <p><b>North:</b> Village Road<br/><b>East:</b> Built up area of village Lado Sarai and Park<br/><b>South:</b> Built up area of village Lado Sarai<br/><b>West:</b> Aurobindo Marg-60mt. R/W.</p> <p><b>North:</b> Built up area of Village Lado Sarai<br/><b>East:</b> Built up area of village Lado Sarai<br/><b>South:</b> Local Shopping Centre.<br/><b>West:</b> Aurobindo Marg-60mt. R/W.</p> <p><b>North:</b> Built up area of village Lado Sarai &amp; MCD Primary School<br/><b>East:</b> Village Road<br/><b>South:</b> Built up area of village Lado Sarai<br/><b>West:</b> Built up area of village Lado Sarai</p> <p><b>North:</b> Built up area of village Lado Sarai<br/><b>East:</b> Barat Ghar.<br/><b>South:</b> Mehrauli Badarpur Road 75 mt. R/W<br/><b>West:</b> Kacha Road</p> <p><b>North:</b> Built up area of village Lado Sarai and Pocket-'J'<br/><b>East:</b> Built up area of village Lado</p> |
|--|--|---|--|

92/C

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

9

|    |                                       |   |  |
|----|---------------------------------------|---|--|
|    |                                       | <p><b>Pocket-X</b><br/>         Area: 0.95 ha.<br/>         'Recreational' (Distt. Park) to 'Residential'</p> | <p>Sarai<br/> <b>South:</b> Village Road<br/> <b>West:</b> Mehrauli Road 60 mt. R/W<br/> <b>North:</b> Convenient Shopping Centre<br/> <b>East:</b> Built up area of village Lado Sarai<br/> <b>South:</b> Built up area of village Lado Sarai<br/> <b>West:</b> Built up area of village Lado Sarai</p> |
| 8. | Area 10.93 ha. near Siri Fort Complex | 'Recreational' (Distt. Park) to 'Public and Semi Public' (Sports Complex)                                     | <p><b>North:</b> Siri Fort Road<br/> <b>South:</b> Siri Fort Sports Complex<br/> <b>West:</b> Siri Fort Institutional Area<br/> <b>East:</b> Recreational (Distt. Park)</p>  |

[F. No. K-12011/3 Zone-F/2010-DDIB]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

106/c

021 100 000 0001 00

REGD NO. 111 100100



सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)  
PART II Section 3 Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं. 1335]  
No. 1335]

नई दिल्ली, पंगलवार, जुलाई 17, 2012/आषाढ़ 26, 1934  
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 17, 2012/ASADHA 26, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिमूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2012

क्र.आ. 1602(अ). यत्: यहाँ नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जित कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 ( 1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 18 मई, 2010 की सा.आ.स. 1171 (ई) के द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें एक नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर एक अधिनियम की धारा 11-ए की उप धारा (1) द्वारा गया अपेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव प्रामाणिक किए गए थे; और

यत्: परामर्शित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपत्तियाँ/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया, और

यत्: केन्द्र सरकार ने आमतो के सभी पहलुओं पर व्यापक विचार करने के पश्चात दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है, और

अतः, अब एक अधिनियम की धारा 11-ए की उपधारा 2 द्वारा धूत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिमूचना के प्रकाशित होने की तारीख में एक दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में निर-संशोधित संशोधन करती है।

संशोधन:

योजना क्षेत्रों में गेजेटेड सड़क तथा शैलीय मार्गों नई दिल्ली के अन्तर्गत पर धारा 4 में प्रा. कर

निम्नलिखित 8093.50 वर्गमीटर (2 एकड़) क्षेत्र का मू उपयोग निम्नलिखित विभाग के अनुसार परिवर्तित किया जाता है:

| अवस्थिति   | क्षेत्र                             | मू उपयोग<br>(एमपीडी-2021) | परिवर्तित मू-उपयोग                       | सीमाएं   |
|--|-------------------------------------|---------------------------|--|--|
| 1  | 2                                   | 3                         | 4  | 5  |
| योजना जोन -डी<br>ई मिन्टो रोड<br>तथा डीडीयू<br>मार्ग, नई दिल्ली<br>के जंक्शन पर<br>पाकेट-4 | 8093.50<br>वर्ग<br>मीटर (2<br>एकड़) | आवासीय                    | सार्वजनिक एवं अपे-<br>सार्वजनिक सुविधाएं | उत्तर - दीन दत्त उपाध्याय मार्ग<br>दक्षिण - पुराना भवन<br>पूर्व - पाकेट-4 ए<br>पश्चिम - मिन्टो रोड |

[फा. सं. नं. 1/2011/1/2009 सी.डी.आई.डी.]

सूचना सं. 100/2012/1/2009

**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**

(Delhi Division)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th July, 2012

S.O. 1602(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India Extraordinary, as Public Notice vide No S O 1171(F), dated 18th May, 2010 the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice; And

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; And

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021; And

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

104/c

|| संसद (iii) ||

भारत का राजपत्र : अधिसूचना

**Modification :**

The land use of the following area measuring 8093.50 sqm. (2 acres), carved out of Pocket-4 at the junction of Minto Road and DDU Marg, New Delhi in Planning Zone-D is changed as per description listed below:-

| Location  | Area                   | Land Use (MPD-2021) | Land use changed to                 | Boundaries   |
|---|------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|
| Pocket-4 at the junction of Minto Road and DDU Marg, New Delhi in Planning Zone-D | 8093.50 sqm. (2 acres) | "Residential"       | "Public and Semi Public Facilities" | North: Deen Dayal Upadhaya Marg<br>South: Old Buildings<br>East: Pocket 4A<br>West: Minto Road |

[F. No K-13011/4/2009-DDIB]

SUNIL KUMAR Under Secy.

110/2

REGD NO 1337

REGD NO 1337



सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 1337

No. 1337

नई दिल्ली, पंगलवार, जुलाई 17, 2012/आषाढ़ 26, 1934  
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 17, 2012/ASADHIA 26, 1934

शहरी विकास पंचालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2012

का.आ. 1604(अ)। यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 ( 1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2010 की सा.आ.सं 2044 (ई) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप धारा (3) द्वारा गंया अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे; और

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात दिल्ली मास्टर प्लान-2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है; और

4. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

123

109/c

संशोधन:

जोन के (अंश) में नजफगढ़ सड़क पर पढ़ने वाले निम्नलिखित 9056 वर्गमीटर क्षेत्र का मू उपयोग 'आवासीय' से 'व्यवसायिक' में निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तन किया जाता है:

| अवस्थिति  | क्षेत्र        | मू उपयोग<br>(एम्पली-2021) | परिवर्तित मू-उपयोग  | सौमल   |
|---|----------------|---------------------------|---|--|
| 1   | 2              | 3                         | 4   | 5  |
| दामक मोड जोन के-11 पर नजफगढ़ के समीप पृथक स्थित प्लॉट-1 (भाग) | 9056 वर्ग मीटर | आवासीय                    | इस प्लॉट के स्वयं 'व्यवसायिक' डीएमआरसी परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए ही मूखण्ड का उपयोग सुनिश्चित करेगा। | उत्तर - विद्युत् निर्मित क्षेत्र<br>दक्षिण - विद्युत् निर्मित क्षेत्र<br>पूर्व - विद्युत् निर्मित क्षेत्र<br>पश्चिम - डीएमआरसी के भाग विद्युत् प्लॉट |

[फा. सं. के-13011/8/2012-डीडीआईबी]  
सुनील कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT  
(Delhi Division)  
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2012

S.O. 1604(E)-- Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 2044(E) dated 20<sup>th</sup> August, 2010 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice; And

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; And

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021; And

124



108/2

शुक्र १(३)

सूचना क्र. १३०११/८-२०१२

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

**Modification :**

The land use of the following area measuring 9056 sqm. at Najafgarh Road falling in Zone K-II(Dwarka) from 'Residential' to 'Commercial' is changed as per description listed below.

| Location  | Area      | Land Use (MPD-2021) | Land use changed to  | Boundaries  |
|---|-----------|---------------------|--|---|
| Isolated Pocket-I (Part) near Najafgarh Road at Dwarka More Zone K-II | 9056 sqm. | 'Residential'       | 'Commercial' with stipulation that DMRC to ensure use of plot for rehabilitation of project affected persons only. | North: Residential built up area<br>South: Residential built up area<br>East: Residential built up area<br>West: Residential pocket with DMRC |

[F. No. K-13011/8/2012-DDIB]

SUNIL KUMAR, Under Secy.



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1429]  
No. 1429]नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 2012/श्रावण 9, 1934  
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 2012/SHRAVANA 9, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2012

क्र.अ. 1728(अ)।— यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 ( 1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06 जून, 2011 की सा.आ.सं. 1300-(ई) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे; और

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपत्तियां/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया; और

4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11ए की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

जोन-सी में आने वाले धीरपुर फेज-1 के निम्नलिखित क्षेत्र का भू-उपयोग निम्नलिखित विवरण के अनुसार है।

| क्र. सं. | स्थान                     | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | भूमि उपयोग (दि.भू.को.-2021) | प्रस्तावित भूमि उपयोग                                  | सीमाएं  |
|----------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|--|---|
| 1.       | जोन 'सी' में धीरपुर फेज-1 | 20 हे.फु.              | आवसीय उपयोग                 | सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (यूटीयसिटी केम्पस पीएस-1) | उत्तर: बाहरी रिंग रोड<br>दक्षिण: आवसीय भू-उपयोग<br>पूर्व: डीडीए भूमि<br>पश्चिम: प्रस्तावित सुविधा केन्द्र |

|    |                            |               |              |  |             |  |
|----|----------------------------|---------------|--------------|--|-------------|--|
| 2. | ज़ोन 'सी' में धीरपुर फेज-1 | 25.38 हेक्टर. | आवासीय उपयोग | सन्नीव-पार्क (जल संचयन के लिए क्षेत्र) | डिस्ट्रिक्ट | उत्तर: गांधी विहार<br>दक्षिण: नाला<br>पूर्व: गांधी विहार के लिए सम्यक सड़क<br>पश्चिम: शीडीर भूमि |
|----|----------------------------|---------------|--------------|--|-------------|--|

[फा. सं. के-13011/172011-डीडीआईबी]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT  
(Delhi Division)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2012

S.O. 1728(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 1300(E) dated 6th June, 2011 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice; and

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021; and

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

## Modification:

The land use of the following area of Dheerpur Phase-I in Zone 'C' as per description listed below:—

| Sj. No. | Location                     | Area in Ha. | Land use (MPD-2021) | Land use changed to                                      | Boundaries  |
|---------|------------------------------|-------------|---------------------|--|---|
| 1.      | Dheerpur Phase-I in Zone 'C' | 20 ha.      | Residential Use     | 'Public & Semi Public' (University Campus PS-I)          | North : Outer Ring Road<br>South : Residential land use<br>East : DDA Land<br>West : Proposed Facility Centre |
| 2.      | Dheerpur Phase-I in Zone 'C' | 25.38 ha.   | Residential Use     | Recreational 'District Park' (Area for water harvesting) | North : Gandhi Vihar<br>South : Nala<br>East : Approach Road to Gandhi Vihar<br>West : DDA land               |

[F. No. K-13011/1/2011-DDIB]

SUNIL KUMAR, Under Secy.